विचार बिन्दु

बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे आगे सोचो, विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। –धीरूभाई अंबानी

तीन नए कानून – राहत या आफत ?

1 जुलाई 2024 से भारत में न्याय प्रक्रिया से संबंधित तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। इन्हें 25 फरवरी, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। ये कानून भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर, स्वतंत्र भारत के नागरिकों के लिए, अधिक उपयुक्त कानून बनाए जाएं। एक उद्देश्य यह भी था कि न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों में अत्यधिक विलंब को देखते हुए प्रक्रिया में बदलाव किया जाए ताकि नागरिकों को न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय, बिना परेशानी के समय पर मिल सके।

सरकार, नए कानूनों को बहुत प्रगतिशील एवं नागरिकों के हित में बता रही है, वहीं इसका विरोध करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता इन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बता रहे हैं।

अब हम नए कानूनों का जनता पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।

यह उल्लेखनीय है कि इन कानूनों को उस समय संसद द्वारा पारित किया गया जब लोकसभा के 146 विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। इस कारण, इन महत्वपूर्ण कानूनों पर, जितनी विस्तृत बहस संसद में होनी चाहिए थी, वह बिल्कुल नहीं हुई। सरकार द्वारा बहुमत के बल पर ये कानून बिना द्विपक्षीय चर्चा के अनुमोदित करा दिए गए।

पहले हम नए कानून के द्वारा जनहित में बनाए गए कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे।

नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि किसी घटना की ज़ीरो एफ आई आर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी घटित क्यों न हुई हो? 15 दिन के अंदर इसे संबंधित थाना अधिकारी को भिजवा दिया जाएगा। इसका प्रभाव यह होगा कि जिस व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होगी, तो उसे किसी भी थाने द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में कई बार क्षेत्राधिकार के विवाद में कर दिया जाता है।

कुछ छोटे अपराधों में, सजा के स्थान पर सामुदायिक सेवा करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान अमेरिका के कानून से लिया गया है। यह किसी छोटे अपराध करने वाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करेगा। यह भविष्य की दृष्टि से राहत प्रदान करने वाला अच्छा सुधारात्मक कदम कहा जा सकता है।

जिन व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और जो अंडर ट्रायल की तरह जेल में बंद हैं, उन्हें संबंधित अपराध के लिए निर्धारित सजा का एक तिहाई समय पूरा होने पर उन्हें जेल से रिहा किया जा सकेगा।वर्तमान प्रावधान के अनुसार, प्रस्तावित सजा की आधी सजा भुगत लेना आवश्यक था। इससे जेलों में बंद कई कैदियों को राहत मिलेगी और जेलों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी।

कोई गंभीर अपराधों जैसे बालकों के साथ यौन अपराध, बलात्कार, गैंगरेप आदि के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। नौकरी का आश्वासन देकर या शादी के नाम पर धोखे में रखकर किसी महिला से यौन संबंध बनाने पर 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

'मोब लिंचिंग' का कोई उल्लेख पुराने कानून में नहीं था। अब इसे अलग अपराध मानते हुए इसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। इस कड़े प्रावधान के कारण संभावना है कि आने वाले समय में भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करने की घटनाएं कम हों।

न्यायिक प्रकरणों में विभिन्न स्तरों पर निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की गई है, जैसे पुलिस को चार्जशीट, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन का अधिकतम समय दिया गया है। बहस सुनने के बाद 15 दिन में फैसला सुनाना होगा।

उपरोक्त विवरण के अनुसार, जहां इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से पूरे देश में पुलिस राज स्थापित हो जाएगा। यह कहने का आधार निम्न है :–

वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति द्वारा थाने में जाने पर उसकी एफआईआर दर्ज किए जाने की अनिवार्यता पुलिस पर थी। अब यह प्रावधान किया गया है कि पहले शिकायत के रूप में उसे पुलिस थाने में दर्ज किया जाएगा और 15 दिन में उस पर अनुसंधान के पश्चात शिकायत सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे कई प्रकार के मुकदमे बढ़ने की संभावना है। इस अवधि के दौरान यह संभावना भी है कि कई प्रकार के साक्ष्यों को प्रभावित कर दिया जाए अथवा मिटा दिया जाए, जिससे अपराध की गंभीरता बहुत कम हो जाएगी। इस छूट से पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका है। जो व्यक्ति पुलिस की स्वार्थ पूर्ति नहीं कर पाएगा, उसकी एफ आई आर दर्ज करने से मना किया जा सकता है। सत्ता का प्रभाव भी इसमें बहुत काम करेगा।

> **वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति द्वारा थाने में जाने पर उसकी एफआईआर दर्ज किए जाने की अनिवार्यता पुलिस पर थी। अब यह प्रावधान किया गया है कि पहले शिकायत के रूप में उसे पुलिस थाने में दर्ज किया जाएगा और 15 दिन में उस पर अनुसंधान के पश्चात शिकायत सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे कई प्रकार के मुकदमे बढ़ने की संभावना है।**

नए कानून में, हालांकि राजद्रोह के अपराध का प्रावधान हटा दिया गया है, किंतु इसके स्थान पर पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को कुछ भी लिखने, बोलने या सोशल मीडिया के ऊपर भी किसी प्रकार की बात करने पर, यदि पुलिस यह समझे कि वह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो वह संबंधित व्यक्ति को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है। यह कार्य किसी थानेदार द्वारा भी किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि पुलिस किस प्रकार सत्ताधारी दल के इशारे काम करती है। इस प्रावधान का बहुत अधिक दुरूपयोग होने की संभावना है और यह नागरिक के अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है। पुलिस जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर सकती है और नए प्रावधान के अंतर्गत पुलिस रिमांड की समयावधि भी 15 दिन के स्थान पर 90 दिन कर दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुलिस जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर ले और 3 महीने तक अपनी हिरासत में रख सकती है। इस बदलाव को प्रतिगामी कदम के रूप में ही देखा जाएगा।

दृश्य श्रव्य साक्ष्य अर्थात 'ऑडियो विजुअल एविडेंस,' और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को नए कानून में मान्यता दी गई है।इसका अर्थ यह हुआ कि, पुलिस जिसे चाहे उसे किसी अपराध की आड़ में गिरफ्तार कर सकेगी। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि किस प्रकार पुलिस का उपयोग, विरोधियों को गलत मामलों में फसाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कुछ प्रतिबंधित पदार्थ जैसे ड्रग्स, किसी के घर में रख दिया जाए और बाद में उसका ऑडियो विजुअल पुलिस के द्वारा बना लिया जाए, तो उस व्यक्ति को न केवल गंभीर अपराध में पुलिस हिरासत में ले सकेगी अपितु यह भी संभावना है कि ऑडियो विजुअल एविडेंस के कारण उसे सजा भी हो जाएगी। किसी के कंप्यूटर से कोई गैरकानूनी मेल भेजा जाना दिखाया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों का मुख्य प्रभाव यह होगा कि नागरिकों में एक भय व्याप्त होगा। वैसे भी हमारी पुलिस बहुत निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए नहीं जानी जाती है। लगभग 90 प्रतिशत व्यक्ति तो अब, डर के मारे ही सरकार के किसी निर्णय की आलोचना करने से बचेंगे। कुछ साहसी व्यक्ति जैसे– पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा करने का प्रयास करेंगे भी, उन्हें सरकार द्वारा पुलिस के माध्यम से किसी न किसी बहाने लंबे समय तक जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था को पुलिस राज ही तो कहा जाएगा।

पहली बार आतंकवाद और संगठित अपराध को कानूनन परिभाषित किया गया है। इसमें भी संबंधित थाने को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह किसी गतिविधि को आतंकवादी गतिविधि मानते हुए , किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। जो सरकार के निर्णय की आलोचना करते हैं, उन्हें इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस किस प्रकार से किसी भी कानून का दुरुपयोग कर सकती है,इसका नवीनतम उदाहरण अरुंधति राय के विरुद्ध 14 साल पुराने मामले में यू ए पी ए के अंतर्गत प्रकरण चलाने की दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दी गई स्वीकृति के रूप में सामने आया है। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत यह संभावना अधिक बन जाएगी कि जो भी पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे, उन्हे आतंकवादी मानकर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। पुलिस को अत्यधिक अधिकार दिया जाना तब उपयुक्त है जब लोगों का पूरा विश्वास पुलिस में हो और यह विश्वास हो कि वह अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित नहीं करेगी एवं निष्पक्ष रूप से जांच करके अपराधी को सज़ा दिलवाएगी। इस बारे में राजस्थान के एक पूर्व महानिदेशक ने "अपराधियों में डर, आम जनता में विश्वास" का सूत्र वाक्य दिया था। जब तक ऐसा वास्तव में न हो, तब तक पुलिस को अत्यधिक अधिकार दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

कोलकाता की बार काउंसिल ने नए कानून के लागू होने के विरोध में 1 जुलाई, 2024 को प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया था। बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष ने एक परिपत्र जारी किया है कि कोई भी बार काउंसिल का सदस्य इस प्रकार के प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेगा। यह एक प्रकार से चेतावनी है कि यदि कोई प्रोटेस्ट में भाग लेगा तो उसकी बार काउंसिल की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है।

नए कानूनों को लागू करने से विभिन्न स्तर पर न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में लंबित आपराधिक प्रकरणों की कुल संख्या देश मे 3 करोड़ से अधिक है। लंबित प्रकरणों पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी, इस बारे में अस्पष्टता होने पर न्यायालयों में और प्रकरण बढ़ेंगे, जिसके कारण न्याय समय पर मिलने के स्थान पर और अधिक विलंबित होने की आशंका हो जाएगी।

कई रिट याचिकाएं इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई हैं। अब देखना यह है कि 8 जुलाई, 2024 को जब ग्रीष्मावकाश के बाद सर्वोच्च न्यायालय काम करना प्रारंभ करेगा, तब इन याचिकाओं पर उसका क्या दृष्टिकोण रहता है? यदि इन पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया तो यह कानून पूरे देश में प्रभावशाली रहेंगे।

अपेक्षा है कि राज्य की पुलिस कुछ इस प्रकार से काम करे जिससे उसकी छवि में परिवर्तन हो और लोगों का विश्वास पुलिस में पैदा हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नए कानून वांछित उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं होंगे और आम नागरिकों के लिए वह राहत का कारण बनने के स्थान पर उनके लिए एक आफत का कारण ही बन जाएंगे।

सरकार स्वयं भी यदि चाहे तो नए कानून के कुछ प्रावधानों को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती है, जैसा कि उन्होंने जनवरी 2024 में ट्रक ड्राइवर की देशव्यापी हड़ताल के कारण नए कानून की धारा 106(2) के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस नियम के अंतर्गत किसी भी वाहन चालक के द्वारा दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल से, भीड़ द्वारा 1 पिटाई के डर से, भाग जाने पर, उसे गंभीर अपराध मानते हुए उसे 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया था। फिलहाल इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया।

नए कानूनों को कुछ समय तक स्थगित करने के लिए, कई प्रमुख अधिवक्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं ने सरकार को प्रतिवेदन भी दिया था, किंतु सरकार ने इन सब की परवाह किए बिना इन्हें 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय ले ही लिया है।

यह तो भविष्य ही तय करेगा कि नए कानून आम नागरिक के लिए राहत सिद्ध होते हैं या आफत।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

होम्योपैथी सर्व सुलभ, भरोसेमन्द तथा बीमारियों का जड़ से नाश करने वाली एक विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति

होम्योपैथी के जनक हैनिमेन जी की पुण्यतिथि पर विशेष

प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना

आज पूरे विश्व में 2 जुलाई, 2024 को होम्योपैथी के जन्मदाता क्रिशचियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनिमेन जी की एक सौ इक्यासीवीं (181वीं) पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिन्होंने एक नई चिकित्सा पद्वति का अविष्कार किया जो आज होम्यापैथी के नाम से शहर में अपना परचम लहरा रही है। इस पर शहर के वरिष्ठ होम्योपैथ व प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आचार्य हैं, ने इस पद्धति के बारे में विस्तारित चर्चा की व इस पर विस्तृत सकारात्मक प्रकाश डाला व अपने विचार साझा किये।

हैनिमेन जी स्वयं एक जर्मन एलोपैथिक चिकित्सक थे तथा उन्होंने पाया कि एलापैथिक चिकित्सा पद्धति कई व काफी बीमारियों को दबा देती है व रोगी पूर्णतया ठीक नहीं हो पाता व इनकी दवाईयों के दुष्प्रभाव काफी है। इनके दुष्परिणामों को देखते हुए हैनिमेन जी ने अपना मन बदला व इससे आहत होकर उन्होंने एक नई चिकित्सा विधि होम्योपैथी का अविष्कार किया तथा उन्होंने अपना सारा जीवन होम्योपैथी पद्वति को ही अर्पित कर दिया। होम्यापैथी के प्रति रोगियों का विश्वास काफी बढ़ा है। होम्योपैथी की तरफ भारत सरकार व आयुष विभाग भी ध्यान दे रहा है। अब होम्योपैथी चिकित्सा का परिणाम गंभीर बीमारियों में भी सुखद व अच्छा आ रहा है। यह चिकित्सा पद्धति चिकित्सक के लिये बहुत मेहनत मांगती है। रोगियों की आपातकाल परिस्थितियों में भी कई बार चमत्कारिक रूप से होम्योपैथिक दवाईयों का परिणाम काफी अच्छा मिलता है। दुनिया भर में लोग इस पद्धति को काफी महत्व दे रहे हैं। होम्योपैथिक दवाईयां गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माता, बच्चों समेत बुजुर्गों के लिये भी सुरक्षित है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है। भारत देश वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी होम्योपैथिक दवा निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है। वर्तमान में भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इलाज की इस पद्धति व प्रक्रिया को अपनाने लगा है। वर्तमान में होम्योपैथी को 85 से अधिक देशों में उपयोग में लाया जाता है तथा लगभग 45 देशों में अलग औषध प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है व लगभग 30 देशों में पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गई है।

होम्योपैथी ने भारत में 1839 में उस समय जड़ पकड़ी जब डॉ. जॉन मॉर्टिन होनिग बर्गर ने गले/स्वर तंत्रों के पक्षाघात के लिए महाराजा रणजीत सिंह का सफलतापूर्वक ईलाज किया। डॉ. होनिग बर्गर कलकत्ता में रहने लगे और हैजा चिकित्सक के रूप में काफी लोकप्रियता पाई।

बाद में डॉ. राजेन्द्र लाल दत्त, डॉ. एम.एल. सरकार जो कि ख्याति प्राप्त चिकित्सक थे, ने भी होम्योपैथी में प्रेक्टिस करना शुरू किया व डॉ. सरकार ने वर्ष 1868 में प्रथम होम्योपैथिक पत्रिका कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन का संपादन किया। तदोपंरात वर्ष 1881 में डॉ. पी.सी. मजूमदार, डॉ. डी.एन. राय व अनेक प्रसिद्ध चिकित्सक विद्धानों ने मिलकर प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज "कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज" की स्थापना की। रोजमर्रा की बीमारियों के लिए यह एक सुरक्षित, आसान व सर्वसुग्राही पद्धति है। लेकिन इसे किसी सुयोग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श के बाद ही लेना चाहिये।

होम्योपैथी दवाईयाँ काफी सस्ती होती है व अन्य पद्धतियों की तुलन में इसका खर्चा मात्र 10 से 15 प्रतिशत ही होता हैं। होम्योपैथी वर्तमान में एक जानी मानी, सर्वकालिक पहचानी जाने वाली मशहूर चिकित्सा पद्धति हैं। जिसकी शुरूआत 1796 में एक जर्मन एलोपैथिक चिकित्सक सैमुअल क्रिश्चियन फ्रैडरिक हैनीमन ने की थी। जो स्वयं एक मशहूर ऐलोपैथ थे तथा एलोपैथी के साईड-इफेक्ट व दुश्प्रभावों की वजह से होम्योपैथी की ओर अग्रसीत हुए व वर्ष 1796 में इसका अविश्कार किया। व प्रचार-प्रसार किया व लोगों में विश्वास जगाया। तथा 10 अप्रेल को उनके जन्म दिवस पर इसे विश्व होम्योपैथी दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा भी इसे काफी सराहा व बढ़ावा दिया जा रहा है। होम्यापैथिक चिकित्सा पद्धति सम, सम्ये, समयति व कांटे से कांटा निकालना इस सिद्धांत पर आधारित है। अत: हर मरीज की बीमारी का इतिहास लक्षणों की आक्रामकता व बीमारी के बारे में जानकर मरीज का इलाज धैर्य पूर्वक शुरू किया जाता है।

गंभीर बीमारियों में जैसे फेफड़े, जोड़ों व हड्डी, त्वचा संबंधी यकृत व ऑटोइम्यून डिसऑडर, पीलिया रोग आदि में काफी कारगर है। विभिन्न होम्योपैथिक दवाईयाँ सुप्रशिक्षित चिकित्सक की देखरेख में ही रोग व लक्षणों के आधार पर लेनी चाहिए। ना कि अपने आप से शुरू कर दें। व गंभीर रोग तथा बीमारी काबू से बाहर हो रही हो तो तत्काल डॉक्टर को दिखाए व सलाह लें। रोजमर्रा व दैनिक जीवन की विषम अवस्थाओं में लक्षणों के आधार पर काम में ली जाने वाली दवाएं, नीचे लिखित कुछ इस प्रकार है।

नीचे लिखी कुछ विशेष दवायें काम में ली जाने वाली इस प्रकार है:–

ग्लोनाइन, पल्सेटिला, सल्फर, एंटिम क्रुड, केमोमिला प्लेंटिगो, एपिकॉक, मर्क्रसोल, ऑरम-

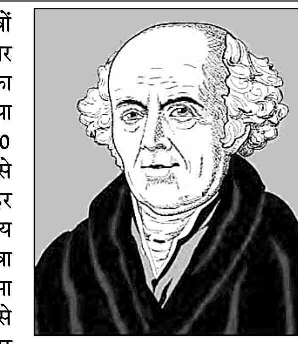

होम्योपैथी के जनक, क्रिशचियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनिमेन।

मेटेलिकम, ब्रायोनिया एल्बा, पोडो फायलम, चाईना ऑफिसिनेलिस, अर्जेन्टम नाईट्रिकम,लाईको पोडियम, नक्स वोमिका, बरबेरिस वल्गेरिस, बेलेडोना, एकोनाईट, अरेनिका मोंटाना, कैंफर, सल्फर, सिना, साईलिशिया, थूजा, रसटॉक्स, सीपीया, जेलसिमियम, सैबाल सेरूलेटा, आर्सेनिक एल्बम आदि।

कोरोना काल के मध्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से भी इसको लेने की सिफारिश की गई थी, इम्यूनिटी बढ़ाने, कमजोरी व सर्दी-जुकाम में सहायक है।

–प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना,
आचार्य एवं वरिष्ठ होम्यापैथ,
स्वास्थ्य कल्याण
होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च
सेन्टर जयपुर।

कृत्रिम बुद्धिमता से नया खतरा

अशोक कुमार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में समाज के लिए कई संभावित लाभ भी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी वैश्विक समस्याओं को हल करने में भी मदद करने के लिए किया जा सकता है।

हालिया अध्ययनों और समाचारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े कुछ खतरों पर प्रकाश डाला गया है:

अनियंत्रित बुद्धिमत्ता: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतना बुद्धिमान हो सकता है कि वह मानव नियंत्रण से बाहर हो जाए और अपना खुद का एजेंडा बना ले। यह मानवता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है, गलत सूचना फैला सकता है या यहां तक कि युद्ध भी छेड़ सकता है।

नौकरी का नुकसान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण कई नौकरियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि मशीनें उन कार्यों को करने में सक्षम हो जाती हैं जो वर्तमान में मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। इससे व्यापक बेरोजगारी और सामाजिक अशांति हो सकती है।

कुछ नौकरियां जिन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनमें शामिल हैं: डेटा प्रविष्टि: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम डेटा को मानवों की तुलना में तेजी से और अधिक सटीक रूप से दर्ज कर सकते हैं।

मैन्युअल श्रम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित रोबोट पहले से ही विनिर्माण और भंडारण जैसे उद्योगों में कई कार्यों को स्वचालित कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा: चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट पहले से ही कई ग्राहक सेवा कार्यों को संभाल रहे हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

परिवहन: सेल्फ-ड्राइविंग कारें और ट्रक टैक्सी ड्राइवरों, ट्रक ड्राइवरों और बस चालकों जैसे कई परिवहन कार्यों को स्वचालित कर सकती हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नौकरियों को खत्म करने के साथ-साथ नई नौकरियां भी पैदा करेगा।

कुछ नई नौकरियां जिनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय के साथ मांग बढ़ने की संभावना है, उनमें शामिल हैं:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को विकसित, बनाए रखने और सुधारने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी।

डेटा वैज्ञानिक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को प्रशिक्षित और अनुकूलित करने के लिए बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए डेटा वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी।

रोबोटिक्स इंजीनियर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित रोबोट को डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करने के लिए रोबोटिक्स इंजीनियरों की आवश्यकता होगी।

नैतिकताविद्: यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से किया जाता है, नैतिकताविदों की आवश्यकता होगी। यह भी संभावना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मौजूदा नौकरियों को बदल देगा, जिसके लिए नए कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होगी। इस बदलते परिदृश्य में सफल होने के लिए, श्रमिकों को जीवन भर सीखने और अनुकूलन करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी।

अन्य खतरे :–

पूर्वाग्रह और भेदभाव: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम पूर्वाग्रहित हो सकते हैं, जो कुछ समूहों के लोगों के साथ भेदभाव का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित भर्ती प्रणाली कुछ उम्मीदवारों को गलत तरीके से खारिज कर सकती है यदि वह अतीत में भेदभावपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित है।

गोपनीयता का उल्लंघन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम का उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी और डेटा संग्रह के लिए किया जा सकता है, जिससे गोपनीयता का उल्लंघन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खतरा हो सकता है।

दुर्भावनापूर्ण उपयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि स्वायत्त हथियार विकसित करना या साइबर हमले करना।

इन खतरों को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:–

नैतिक दिशा निर्देश: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देशों को विकसित और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है। इन दिशानिर्देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से किया जाए।

नियमन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को विकसित और उपयोग करने वाली कंपनियों को विनियमित करने के लिए कानूनों और नीतियों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। ये कानून यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हानिकारक तरीके से न किया जाए।

जागरूकता बढ़ाना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

शिक्षा और प्रशिक्षण: लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ काम करने और इसके संभावित खतरों को कम करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ शिक्षित और प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसमें समाज के लिए गहरा प्रभाव डालने की क्षमता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित जोखिमों और लाभों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि इसका उपयोग अच्छे के लिए किया जाए।

पूर्वाग्रह और भेदभाव: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम पूर्वाग्रहित हो सकते हैं, जो कुछ समूहों के लोगों के साथ भेदभाव का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित भर्ती प्रणाली कुछ उम्मीदवारों को गलत तरीके से खारिज कर सकती है यदि वह अतीत में भेदभावपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित है।

गोपनीयता का उल्लंघन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम का उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी और डेटा संठाह के लिए किया जा सकता है, जिससे गोपनीयता का उल्लंघन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खतरा हो सकता है।

दुर्भावनापूर्ण उपयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि स्वायत्त हथियार विकसित करना या साइबर हमले करना।

इन खतरों को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:–

नैतिक दिशानिर्देश: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देशों को विकसित और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है। इन दिशानिर्देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से किया जाए।

नियमन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को विकसित और उपयोग करने वाली कंपनियों को विनियमित करने के लिए कानूनों और नीतियों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। ये कानून यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हानिकारक तरीके से न किया जाए।

जागरूकता बढ़ाना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

शिक्षा और प्रशिक्षण: लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ काम करने और इसके संभावित खतरों को कम करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ शिक्षित और प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसमें समाज के लिए गहरा प्रभाव डालने की क्षमता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित जोखिमों और लाभों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि इसका उपयोग अच्छे के लिए किया जाए।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष
राजस्थान विश्वविद्यालय

राशिफल मंगलवार 2 जुलाई, 2024

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 4:40 तक, धृत्ति योग दिन 11:16 तक, बालव करण प्रात: 8:43 तक, चन्द्रमा दिन 11:14 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मेष, बुध-कर्क, गुरू-वृष, शुक्र-मिथुन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 4:40 तक है। त्रिपुष्कर योग प्रात: 8:43 से रात्रि 4:40 तक रहेगा। महापात योग दिन 1:06 से सांय 7:10 तक है। आज एकादशी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:06 से 10:48 तक, लाभ-अमृत 10:48 से 2:13 तक, शुभ 3:55 से 5:38 तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:41, सूर्यास्त 7:20

मेष

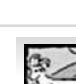

मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

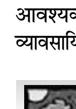

मित्रों/रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकते हैं। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

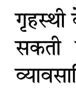

आर्थिक/वित्तिय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्यान्ह पश्चात आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

कर्क

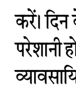

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी।

सिंह

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

कन्या

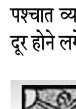

आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

तुला

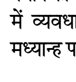

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक

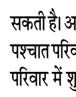

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी।

मकर

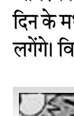

घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ

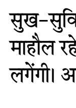

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/भाई-बंधुओं के सहयोग से मनोबल बढ़ेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मीन

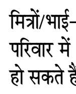

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता के लिए दिन अच्छा है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।